न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 24/2022 (राजसमन्द डिकी)

1. अजबसिंह पिता स्वर्गीय गोविन्दसिंह रावत, निवासी डूंगर खेड़ा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
2. उदयसिंह पिता जेतसिंह रावत, निवासी डूंगर खेड़ा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी स्वर्गीय नारायणसिंह, निवासी नयागांव, डूंगर खेड़ा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
4. किशनसिंह पिता स्वर्गीय नारायणसिंह, निवासी डूंगर खेड़ा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
5. चैनसिंह पिता स्वर्गीय नारायणसिंह, निवासी डूंगर खेड़ा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
6. मीरा पत्नी अमरसिंह पुत्री स्वर्गीय नारायणसिंह, निवासी डूंगर खेड़ा हाल निवासी बोरवाड़ा का बाडिया, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
7. सुगना पत्नी शंकरसिंह पुत्री स्वर्गीय नारायणसिंह, निवासी डूंगर खेड़ा हाल निवासी बिलयावास, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. देवीसिंह पिता प्रेमसिंह रावत, निवासी सारोठ–बोरवाड़ा का बाडिया, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
2. कमला पुत्री प्रेमसिंह पत्नी लाडुसिंह, निवासी सारोठ–बोरवाड़ा का बाडिया हाल निवासी डूगर खेड़ा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
3. दुली पुत्री प्रेमसिंह पत्नी गेनसिंह, निवासी सारोठ–बोरवाड़ा का बाडिया हाल निवासी टीबाना, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
4. चुन्नी पुत्री प्रेमसिंह पत्नी हुकुमसिंह, निवासी सारोठ–बोरवाड़ा का बाडिया हाल निवासी बाला चाराट, तहसील टॉडगढ़, जिला अजमेर (राज.)
5. राधा पुत्री प्रेमसिंह पत्नी लक्ष्मणसिंह, निवासी सारोठ–बोरवाड़ा का बाडिया हाल निवासी बाला चाराट, तहसील टॉडगढ़, जिला अजमेर (राज.)
6. नैनी पुत्री प्रेमसिंह पत्नी [illegible]सिंह, निवासी सारोठ–बोरवाड़ा का बाडिया हाल निवासी हणगोतो का बाडिया, तहसील [illegible]वर, जिला अजमेर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:17 IST
Reason: SelfAttested

.... रेस्पोन्डेन्टगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा॰ का॰
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, भीम
दिनांक 19.08.2022 प्र.सं. 26/16

---::---

उपस्थित (वक्त बहस) :— 1— श्री मदनसिंह चौहान अभिभाषक अपीलान्टगण
2— श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं0 1

---::---

निर्णय **दिनांक 09—04—2024**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नया गांव, पटवार क्षेत्र सारोठ, तहसील भीम में आराजी नंबर 2672 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी एवं आराजी नंबर 2670 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके हाल आराजी नंबर 1824, 1827 व 1831 हैं। उक्त आराजियात पूर्व में बालुराम पिता नारायणलाल महाजन के स्वामित्व एवं आधिपत्य की थी, जिनको रूपयों की आवश्यकता होने से अन्य आराजियात के साथ उक्त आराजियात दिनांक 06—06—1970 को 2000/— रूपये में विक्रय प्रेमसिंह पिता रूपसिंह व केशी बेवा रूपसिंह के पक्ष में कर दिनांक 23—06—1970 को पंजीयन करवा दिया। तब से दोनों क्रेता 1/2, 1/2 हिस्से पर काबिज होकर उपयोग—उपभोग करते चले आ रहे हैं। श्रीमती केशीबाई द्वारा किसी प्रकार का विक्रय विलेख अथवा रहन किसी के पक्ष में नहीं किया गया है। दिनांक 28—02—1988 को केशीबाई की मृत्यु हो जाने से वादीगण उक्त समस्त आराजियात का उपयोग—उपभोग करते चले आ रहे हैं। केशीबाई का उक्त 1/2 हिस्सा बिना किसी बेचना के प्रतिवादीगण के नाम अंकित हो गया है, जबकि केशीबाई को किसी को बेचान, रहन व बक्शीस करने का कोई अधिकार नहीं था। यदि इस प्रकार का कोई विक्रय विलेख किया गया है तो वह गलत व शून्य होकर निरस्त योग्य है। अतः वादीगण को विवादित आराजी नंबर 2672 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी एवं आराजी नंबर 2670 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा में से 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19—08—2022 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय [illegible] प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर [illegible] तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अभि[illegible] श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:17 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट संख्या 3 से 7 की ओर से धारा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता नारायणसिंह प्रतिवादी संख्या 3 की मृत्यु सन् 2017 में हो चुकी थी, किन्तु उनकी मृत्यु पर अपीलान्टगण को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है, जिससे प्रार्थीगण अपना पक्ष रखने से महरूम रह गये। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/अपीलान्ट संख्या 3 से 7 को अपील में पक्षकार संयोजित किये जाने की अनुमति प्रदान की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चूंकि अपीलान्ट/प्रार्थी संख्या 3 से 7 प्रतिवादी नारायणसिंह के वारिस हैं। अतः न्यायहित में उन्हें पक्षकार संयोजित कर सुना जाना आवश्यक होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/प्रार्थीगण ग्रामीण परिवेश के होकर अनपढ़ होने से उन्हें न्यायिक प्रकिया का ज्ञान नहीं है। काश्तकार अपने वाद की कार्यवाही में अपने अधिवक्ता पर निर्भर रहता है, जिससे उन्हें निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः विलम्ब कण्डोन कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्ट/प्रार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री का सम्पूर्ण ज्ञान था, फिर भी अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं देरी के कोई स्पष्ट कारण नहीं बताये हैं। अतः अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RBJ (17) 2010 Page 289, RRT 2007 (2) Page 939, DNJ (Raj.) 2014 (3) Page 1132, CT (Raj.) 2017 (2) Page 732, RRT 2007 (2) Page 788 प्रस्तुत की।

हमने उक्त आवेदन पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा आदेश 4[illegible] 27 संपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर [illegible] न्यायहित में रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:17 IST
Reason: SelfAttested

उप-प्रबन्धक अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट के पास उक्त दस्तावेजात पूर्व से थे, फिर भी अपील प्रस्तुत करने के 8 माह बाद पेश किये हैं। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र मेन्टीनेबल नहीं होने से खारिज किया जावे। साथ ही आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के साथ अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में रेकार्ड पर लिया जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। दोनों ही पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रमाणित प्रतियां होने से न्यायहित में आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेजात रेकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने कानून की अनदेखी करते हुए मृत व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री जारी की गयी है तथा बिना किसी आधार के अपीलान्टगण के खाते की आराजियात का रेस्पोन्डेन्ट को खातेदार घोषित करने में भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय को पक्षकारों की साक्ष्य लेकर एवं तनकियात कायम कर निर्णय पारित करना चाहिए था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना तनकियात कायम किये एवं अपीलान्टगण को बिना सुने सिर्फ तीन लाईन में एकपक्षीय निर्णय पारित कर डिक्री जारी कर दी है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा उक्त निर्णय व डिक्री के आधार पर विवादित आराजी नंबर 2672 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी एवं आराजी नंबर 2670 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा का किसी प्रकार का अलम दरामद किया जाता है तो उसे पुनः पूर्व की भांति बहाल किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर 2023 (2) RRT Page 1227 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RBJ (12) 2005 Page 4, RRC 2000 Page 468 प्रस्तुत की।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत 207[illegible] 20[illegible] में विवादित आराजी नंबर 2672 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी अपीलान्ट संख्या अजबसिंह के खातेदारी में दर्ज है, जबकि आराजी नंबर 2670 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि अपीलान्ट संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:17 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

व 2 तथा अपीलान्ट संख्या 3 से 7 के पूर्वाधिकारी नारायणसिंह की सहखातेदारी में दर्ज है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में बिना किसी साक्ष्य का विवेचन किये सरसरी तौर पर यह निर्णय पारित किया कि ''प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाने के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही की गयी, वकील वादी की बहस सुनी गयी, प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अतः ग्राम नयागांव के खसरा नंबर 2670 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा नंबर 2672 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि के ½ वादीगणों को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं ½ भूमि को प्रतिवादीगणों के खाते से कम की जावे।'' अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है, क्योंकि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी साक्ष्य का अवलोकन नहीं किया गया है। प्रकरण में हम यह भी पाते हैं कि दौराने वाद कार्यवाही वर्ष 2017 में प्रतिवादी संख्या 3 नारायणसिंह (अपीलान्ट संख्या 3 से 7 के पूर्वाधिकारी) की मृत्यु हो चुकी थी, किन्तु उनके वारिसान को बिना कायम मुकाम किये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, जिससे भी उक्त डिक्री मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित होने से अपास्त योग्य है। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी है, उनका हमने अवलोकन किया, किन्तु उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण लागू नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–08–2022 अपास्त की जाती है तथा उक्त निर्णय व डिक्री के आधार पर विवादित आराजियात का किसी प्रकार का अमल दरामद किया गया हो तो उसे पुनः पूर्व की भांति बहाल रखा जावे तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर विधि के आलोक में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 14–06–2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 09–04–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:17 IST
Reason: SelfAttested